न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 04/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती शोभाबेन पुत्री श्री तुलसीराम पत्नि श्री भैरूलाल त्रिवेदी जाति ब्राह्मण निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. श्री जतन कुमार पुत्र श्री प्रकाश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–
1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।
3. श्री आनन्ददेव सुमन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 01.08.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम एवं अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 52 दिनांक 31.03.1981 वर्गफीट 716.70 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री आनन्ददेव सुमन ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम रोहिडा के मौहल्ला छोटी ब्रह्मपुरी के नुक्कड [illegible] या की माता श्रीमती मंगुबाई पत्नि श्री तुलसीराम के कब्जे स्वामित्व का एक रहवासी [illegible] स्थित है एवं प्रार्थिया की माता के कोई जायंदा पुत्र नहीं था एवं [illegible] प्रार्थिया शोभाबेन थी एवं बडी पुत्री विद्याबेन का भी निधन हो चुका है [illegible] की माता का भी निधन [illegible] दिनांक 23.12.2012 को ग्राम रोहिडा में हो चुका है एवं उन्होंने अपनी जिन्दा अवस्था में किसी को भी गोद नहीं लिया था। यह है कि प्रार्थिया की माता ने अपनी जिन्दा अवस्था में अपने कब्जे स्वामित्व के रहवासी मकान का पट्टा अकेले अपने नाम पर बनाने हेतु ग्राम पंचायत रोहिडा में आवेदन किया था लेकिन तत्कालीन पंचायत प्रशासन ने अप्रार्थी संख्या एक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मिलीभगत कर गलत रूप से प्रार्थिया की माता के नाम के आगे जतनकुमार पुत्र श्री तुलसीराम लिख दिया, जबकि श्री जतनकुमार वास्तव में मंगूबाई की बडी पुत्री विद्यावेन का पुत्र है, जिसका मंगूबाई के मकान में कोई हक अधिकार नहीं था एवं न ही मंगूबाई ने जतनकुमार को गोद लिया था। यह है कि प्रार्थिया की माता ने अपनी मृत्यु से पूर्व प्रार्थिया द्वारा की गई सेवा से खुश होकर अपना उक्त रहवासी मकान तथा समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति जरिए वसीयत दिनांक 23.02.2007 व दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रार्थिया को दी है, जिससे उक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती मंगूबाई के उक्त रहवासी मकान की एक मात्र मालिक व कब्जेदार प्रार्थिया ही है। यह है कि प्रार्थिया की माता ने अप्रार्थी संख्या एक को गोद नहीं लिया है तथा इस बात को अपनी वसीयत में भी स्पष्ट किया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या एक का उक्त रहवासी मकान में किसी भी प्रकार का हित, अधिकार या दावा नहीं है और न ही अप्रार्थी का उक्त रहवासी मकान पर कभी कब्जा रहा है। यह है कि दिनांक 26.01.2013 को प्रार्थिया व उसका पति उक्त रहवासी मकान पर अपना ताला व नाम का बोर्ड लगाकर अम्बाजी दर्शन के लिए गए हुए थे, तब पीछे से अप्रार्थी व उसके भाईयों ने बलपूर्वक उक्त रहवासी मकान पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर प्रार्थिया ने पुलिस थाना रोहिडा में मुकदमा दर्ज करवाया जो न्यायालय में लम्बित है एवं प्रार्थिया ने अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत भी उपखण्ड न्यायालय पिण्डवाडा में प्रार्थना पत्र संस्थित कर रखा है। यह है कि प्रार्थिया ने उक्त पट्टे की मिसल की नकल मांगी जिस पर अप्रार्थी संख्या दो ने पट्टे की मिसल उपलब्ध नहीं होने का लिखकर देने से स्पष्ट है कि पंचायत ने मिली भगत कर गलत रूप से पट्टे में अप्रार्थी संख्या एक का नाम जोडा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 52 दिनांक 31.03.1981 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि सार्वजनिक स्थान नही है अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है । अप्रार्थी संख्या दो ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा [illegible] गया कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित सम्पत्ति स्व. श्री [illegible] स्वामित्व की है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा [illegible] अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार पुत्र श्री तुलसीराम के हक में जारी किया है। य[illegible] है कि श्रीमती मंगूबाई के जायंदा दो पुत्रियां विद्यावेन व शोभावेन थी एवं श्रीमती मंगूबाई ने अपनी जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या एक को बाल्यावस्था में ही गोद लिया था एवं गोद की सम्पूर्ण रस्म अदा की थी एवं तब से अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार श्रीमती मंगुवाई व पिता श्री तुलसीराम के पुत्र के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है एवं अप्रार्थी संख्या एक के समाज में हातीपांती भी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मंगूबाई व श्री तुलसीराम के गोदीपुत्र की हैसियत से ही आती है एवं अप्रार्थी संख्या एक का बैंक में खाता, राशन कार्ड, पंचायत प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, आधार कार्ड, स्कूल के प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज में पिता श्री तुलसीराम दर्ज है एवं इसी नाम से अप्रार्थी संख्या एक जाना जाता है। यह है कि मंगूबाई ने आवेदन में स्वयं व अपने पुत्र जतनकुमार के नाम से पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं उक्त पट्टा दिनांक 13.03.1981 को जारी किया था, तब से मंगूबाई एवं प्रार्थिया को यह भलीभांति जानकारी है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा मंगूबाई व अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त नाम से जारी किया हुआ है। यह है कि श्रीमती मंगूबाई का भरणपोषण एवं उनके जीवन में होने वाले समस्त खर्चे अप्रार्थी संख्या एक ने ही वहन किए है एवं श्रीमती मंगूबाई के देहावसान से कुछ समय पूर्व ही मुगालते में रखकर प्रार्थिया ने कूटरचित वसीयतनामा तैयार करवाया है। यह है कि उक्त पट्टा की सम्पत्ति स्व. मंगूबाई व अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त मालिकी स्वामित्व की है जिससे उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत करने का कानूनन श्रीमती मंगूबाई को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है एवं इस प्रकार से कोई दस्तावेज निष्पादित भी करवाया गया है तो वह कानूनन शून्य एवं काबिल खारिज है। यह है कि उपखण्ड न्यायालय पिण्डवाडा में धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही अवश्य चली थी, जिसे गलत रूप से निष्पादित करवाकर प्रार्थिया ने उक्त पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र भी श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थिया को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा नहीं होता है। यह है कि प्रार्थिया ने पट्टा संख्या 52 दिनांक 31.03.1981 में से अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार का नाम हटाने के आदेश प्रदान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थिया उक्त सम्पत्ति की मालिक है तो उसे स्वामित्व की घोषणा हेतु नियमानुसार सक्षम सिविल न्यायालय में वाद दायर कर ही सम्पत्ति की घोषणा करवाने का अधिकार है। इस निगरानी के जरिए अप्रार्थी संख्या एक का नाम हटाकर प्रार्थिया उक्त सम्पत्ति की स्वामी कदापि नहीं बन सकती। अतः यह निगरानी प्रार्थना पत्र कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थिया ने गलत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमाकर अप्रार्थी संख्या एक को प्रार्थिया से विशेष हर्जाना के रूपए 20,000/– दिलाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री आनन्ददेव सुमन द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि उक्त मकान श्रीमती मंगूबाई व उनके पुत्र श्री जतनकुमार के संयुक्त मालिकी स्वामित्व का है एवं उक्त मकान का पट्टा दिनांक 16.10.1981 को जारी हुआ है एवं मंगूबाई का देहान्त दिनांक 23.12.2012 को हुआ है एवं पट्टा जारी होने के 31 तक साल भी मंगूबाई अपनी जीवित अवस्था में इस बाबत कोई शिकायत नहीं की। यह है कि मंगूबाई द्वारा पंचायत में जतनकुमार का नाम हटाने का आवेदन करना गलत है एवं न ही पंचायत नाम हटाने में सक्षम है एवं ग्राम [illegible] .05.2016 को अप्रार्थी संख्या एक ने सूचित किया कि उक्त जायदाद के जल [illegible] विद्युत कनेक्शन भी उसके नाम से है, इस कारण अप्रार्थी संख्या एक [illegible] कि ग्राम पंचायत को वसीयत की जानकारी नहीं है फिर भी मंगूबाई को [illegible] जायदाद में अपने हिस्से से अधिक वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। यह है कि ग्राम पंचायत ने पूरी विधिवत प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 16.10.1981 को मंगूबाई व अप्रार्थी संख्या एक जतन कुमार के संयुक्त नाम से नीलामी में भूमि विक्रय कर व शुल्क लेकर पट्टा जारी किया है एवं एक बार नीलामी में भूमि विक्रय करने व शुल्क प्राप्त कर लेने के उपरान्त उसको निरस्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला [illegible], सिरोही

Scanned with CamScanner

जाना पंचायत द्वारा संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार होने से प्रार्थी का निगरानी प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया की उक्त निगरानी मय हर्जे खर्चे खारिज कर अनुग्रहित करावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉंति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहॉं तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या एक एवं श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, रोहिडा द्वारा रूपये 127.50/– शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक व दो के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉं जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्तागणों द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्तागणों का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी [illegible] अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा [illegible] पंचायत नियम 1961 के नियम 266 के तहत श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम एवं अप्रार्थी संख्या एक के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ताओ द्वारा यह स्वीकार किया गया है [illegible] श्री तुलसीराम के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था एवं दो पुत्रियां विद्याबेन एवं प्रार्थिया शोभाबेन थी एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार, श्री तुलसीराम की पुत्री विद्याबेन का पुत्र था। अप्रार्थी संख्या एक के

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता का कथन है कि श्रीमती मंगूबाई ने अपने जीवन काल में अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार को बाल्यावस्था में गोद लिया था एवं गोद की सम्पूर्ण रस्म अदा की थी, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि श्री तुलसीराम या श्रीमती मंगूबाई के द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को गोद लिया गया हो। इस सम्बन्ध अप्रार्थीगण के द्वारा श्री जतनकुमार को श्रीमती मंगूबाई या श्री तुलसीराम के द्वारा गोद लेने के सम्बन्ध वैध गोदनामा या सामाजिक तौर पर कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम द्वारा दिनांक 23.02.2007 एवं अन्तिम रूप से दिनांक 05.04.2012 को वसीयतनामा प्रार्थिया श्रीमती शोभाबेन पुत्री श्री तुलसीराम के हक में लिखकर दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम की मृत्यु पश्चात उनकी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की एक मात्र मालिक प्रार्थिया शोभाबेन ही रहेगी। जहां तक अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्तागणों के किए कथन का प्रश्न है कि उक्त सम्पत्ति श्रीमती मंगूबाई एवं अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त मालिकी की है एवं श्रीमती मंगूबाई को उक्त जायदाद में अपने हिस्से से अधिक वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मंगूबाई एवं श्री तुलसीराम के द्वारा श्री जतनकुमार को गोद लेने या अपने कब्जे स्वामित्व की भूमि व सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा श्री जतनकुमार को देने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त सम्पत्ति श्रीमती मंगूबाई एवं अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त मालिकी का होना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह है कि श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम को दिनांक 08.03.2006 में जारी राशनकार्ड संख्या 2012 में श्रीमती मंगूबाई के परिवार में सदस्यों की संख्या 01 दर्शाई गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री जतनकुमार, श्रीमती मंगूबाई के परिवार का सदस्य नहीं था, अगर श्रीमती मंगूबाई द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को गोद लिया भी होता तो इनका नाम उक्त राशन कार्ड में होना चाहिए था। यह है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा उक्त सम्पत्ति को श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम एवं अप्रार्थी संख्या एक के संयुक्त मालिकी मानकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया है, परन्तु उक्त पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं अन्य दस्तावेज, रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा बिना वैध गोदनामा व अन्य दस्तावेज एवं स्वामित्व की जांच किए बगैर उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित एक फौजदारी प्रकरण न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाडा में प्रकरण संख्या 05/2013 पर दर्ज हुआ, जो वाद सुनवाई के दिनांक 28.04.2016 को निर्णित हुआ, उसमें भी उक्त पट्टे से सम्बन्धित मकान पर कब्जा प्रार्थिया श्रीमती शोभाबेन का माना है एवं उक्त मकान को प्रार्थिया श्रीमती शोभाबेन को लौटाए जाने के आदेश प्रदान किए गए है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि मंगूबाई ने आवेदन में स्वयं व अपने पुत्र श्री जतनकुमार के नाम से पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, परन्तु उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उपरोक्त सभी अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार यह न्यायालय ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा जारी विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रोहिडा द्वारा श्रीमती मंगूबाई पत्नि श्री तुलसीराम एवं अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 52 दिनांक [illegible] वर्गफीट 716.70 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 13:32:44 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner